दिनांकः 17-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा फैक्ट्री में हुई आपरेटर की हत्या का मात्र 24 घण्टें मे सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी गिरफ्तार, कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 01 लोहे की रॉड बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 15.09.2023 को वादिया श्रीमती वरीसा पत्नी अब्दुल नि0 ग्राम पटनी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर ने थाना गागलहेडी पर दी गई लिखित सूचना कि मेरे भाई साजिद पुत्र शौकत नि0 ग्राम पिलखनी थाना सरसावा जिला सहारनपुर की अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है, के सम्बंध में थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 164/23 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेशो निर्देशो के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना गागलहेडी श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में दिनाँक 16.09.23 को थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **विक्रान्त उर्फ लक्की वालिया पुत्र प्रमोद वालिया नि0 ग्राम कोलकी कला थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर** को घटना में प्रयुक्त एक लोहे की रॉड जो एक तरफ से नुकीली सहित कोलकी फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभि0 के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्याया0 के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त विक्रान्त उर्फ लक्की ने पूछताछ करने पर बताया कि मृतक साजिद पुत्र शौकत निवासी पिलखनी थाना सरसावा जिला सहारनपुर जो लगभग 3 साल से मेरे भाई विक्की की फैक्ट्री में ऑपरेटर का काम करता था। साजिद मेरे भाई विक्की को जान से मारकर फैक्ट्री का मालिक बनना चाहता था, ये बात वह गाँव में कई लोगो ने मुझे बताई थी। इसी बात को लेकर मेरा उससे 4 दिन पहले फैक्ट्री के अन्दर झगड़ा हुआ था, साजिद ने झगडे के दौरान मुझे गाली गलौज भी की थी, तभी से मै मौके की तलाश में था। दिनाँक 14/15.09.23 की रात को हम दोनो फैक्ट्री मे ही रूके हुए थे। साजिद ने शराब पी हुई थी और मेरे पास में ही पड़ी हुई चारपाई पर सोया हुआ था। मौका पाकर मैने फैक्ट्री में ही पड़ी एक नुकिली लोहे की रॉड से सोते हुए साजिद पर तीन वार किये, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी। मैं डर के मारे भाग गया था तथा वह रॉड मैने फैक्ट्री में ही रखे बैलर में डाल दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विक्रान्त उर्फ लक्की वालिया पुत्र प्रमोद वालिया नि0 ग्राम कोलकी कला थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 लोहे की रॉड जो एक तरफ से नुकीली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

01-श्री अभितेष सिंह क्षेत्राधिकारी सदर सहारनपुर
02-श्री सुनील नागर प्रभारी निरीक्षक थाना गागलहेडी सहारनपुर
03-व0उ0नि0 श्री अनिल तेवतिया थाना गागलहेडी सहारनपुर
04-उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना गागलहेडी सहारनपुर
05-हे0का0 127 विनीत कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर
06-हे0का0 317 सुनील कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर
07-का0 2122 लोकेश कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर

दिनांकः 17-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा मोबाईल लूट की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

बरामदगी-

- **01 मोबाईल फोनो ओप्पो कम्पनी**
- **01 मोबाईल रेडमी कम्पनी**

अवगत कराना है कि दिनांक 16/09/2023 को वादिया द्वारा थाने पर आकर लिखित सूचना दी गई कि उसका लड़का वंश त्यागी टयूशन पढने के लिए घर से मंगलौर चौकी के पास गया था तभी रास्ते मे उसके पास फोन आ तो वह फोन सुनने लगा जिसके तुरन्त बाद 01 मोटर साईकिल सवार व्यक्ति ने उसका फोन अचानक छीन लिया । तहरीर के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 496/23 धारा 392 भा.द.वि का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना देवबन्द के कुशल नेतृत्व थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए मोबाईल लूट की घटना कारित करने वाले अभियुक्त **मोईन पुत्र शाजमा निवासी फौलाद पुरा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर बाला सुन्दरी मंदिर के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी।

पूछताछ करने पर अभियुक्त मोईन ने पूछने पर बताया कि मै नशे का आदी हूँ और नशा करने के लिए मुझे पैसे की जरूरत थी । दिनांक 16/09/2023 को मैने एक लड़के का मोबाईल छीन लिया था। वह उस समय फोन पर बाते कर रहा था। दूसरा मोबाईल मैने मंगलौर रोड़ से एक व्यक्ति से छीना था। मैने छीने हुए मोबाईलो को राह चलते हुए लोगो को कम दामो में बेच देता हूँ और पैसे ले लाता हूँ जिससे मैं नशा कर लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

मोईन पुत्र शाजमा निवासी फौलादपुरा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 रामनरेश वर्मा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. कां0 2358 तरूण कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

दिनांक: 17-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस केबल चोरी की घटना कारित करने वाला 01 शातिर चोर मात्र 24 घण्टे मे गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 50 मीटर केबल बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 16.09.23 को थाना मिर्जापुर पर जमुना प्रसाद पुत्र स्व0 धर्म दास निवासी ग्राम अतरसुबा थाना गुरसराय जनपद झासी ने उपस्थित थाना आकर प्रा0 पत्र बाबत दिनांक 16.09.23 को मुन्तजीर पुत्र यासीन निवासी ग्राम नानूवाला उर्फ मोहिद्दीनपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर द्वारा ग्लोकल युनिवर्सीटी से 50 मीटर केबिल चोरी के सम्बन्ध मे तहरीर के आधर पर मु0अ0स0 141/23 धारा 380/411 भादवि बनाम मुन्तजीर उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे उक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करने हेतु विशेष चैकिंग अभियान चलाया गया जिसमें पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट द्वारा के कुशल नेतृत्व मे गठि पुलिस टीम द्वारा अन्दर 24 घण्टे के अन्दर चोरी की घटना घटना का सफल अनावरण करते हुए **अभि0 मुन्तजीर पुत्र यासीन निवासी ग्राम नानूवाला उर्फ मोहिद्दीनपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को ग्लोकल युनिवर्सीटी के पास से मय मु0अ0स0 141/23 धारा 380/411 भादवि से सम्बन्धित चोरी हुआ करीब 50 मीटर केबिल के साथ गिरफ्तार किया गया। अभि0 को बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

पूछताछ करने पर अभियुक्त मुन्जीर उपरोक्त ने बताया कि मै मजदूरी करता हूँ। मेरे मन मे लालच आ गया था इसलिए मैने यह केबिल चोरी कर लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-
मुन्तजीर पुत्र यासीन निवासी ग्राम नानूवाला उर्फ मोहिद्दीनपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-
अभियुक्त के कब्जे से मु0अ0स0 138/23 धारा 380/411 भादवि में चोरी हुआ 50 मीटर केबिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टीः-
1. प्र0नि0 राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 असगर अली थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 424 संजय धामा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4. का0 2062 अफसर अली थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

दिनांक: 17-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 10/09/2023 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित सूचना दी कि उसकी नाबालिग लड़की के साथ गाँव के हसीन पुत्र आबाद निवासी ग्राम जहीरपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ने दुष्कर्म की घटना की है और मौके से फरार हो गया है। इस सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 485/23 धारा 363/376 भादवि 4(2) पोक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना देवबन्द के कुशल नेतृत्व मे थाना देवबन्द पुलिस द्वारा आज दिनांक 17/09/2023 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त **हसीन पुत्र आबाद निवासी ग्राम जहीरपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को राजूपुर अड्डा के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

हसीन पुत्र आबाद निवासी ग्राम जहीरपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर उम्र करीब 26 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 बलवीर सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 458 धर्मपाल शर्मा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. कां0 2223 द्रिवेश कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

दिनांकः 17-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर को मात्र 11 घण्टे में किया गिरफ्तार, कब्जे चोरी की 01 एलईडी व 01 बैटरा बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक 16/09/23 को वादी श्री सत्यम मित्तल पुत्र श्री चन्द्रशेखर निवासी मौ0 महादेव कस्बा व थाना नकुड़ जिला सहारनपुर की तहरीरी सूचना बावत अभियुक्त कुलदीप पुत्र सुभाष निवासी मौ0 महादेव कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा आर0एन0 विद्यापीठ टैगोर इण्टर कालेज नकुड़ में रखा 01 बैटरा व 01 एलईडी चोरी कर लेने के संबंध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 344/23 धारा 380 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे वांछित अपाराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 17/09/23 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वाँछित अभियुक्त **कुलदीप उर्फ हिटलर पुत्र सुभाष निवासी मौ0 महादेव कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को मल्हा माजरा रोड के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी हुई 01 एलईडी व 01 बैटरा बरामद हुआ है। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्त कुलदीप उर्फ हिटलर उपरोक्त पूर्व में भी थाना नकुड़ से जेल जा चुका है अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त कुलदीप उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नही हूँ। मैं अपनी जरुरतो को पूरी करने के लिए छोटी मोटी चोरी करता हूँ। दिनांक 15/09/23 की रात को मैने यह एलईडी व बैटरा आरएन विद्यापीठ टैगोर इण्टर कालिज नकुड़ के कमरे का ताला तोड़कर चोरी किया था। चोरी करने के बाद मैने इस सामान को मल्हा माजरा रोड पर ईख के खेत में छुपा दिया था, जिसे आज मैं बेचने के लिए जा रहा था कि आपने पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

कुलदीप पुत्र सुभाष निवासी मौ0 महादेव कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

अभियुक्त कुलदीप उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 01/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2.मु0अ0सं0 50/23 धारा 380/411/427/457 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3.मु0अ0सं0 495/22 धारा 380/457/411 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 एलईडी सोनी कम्पनी की रंग काला

01बैटरा livguard energy unlimited व NO . A6YCACSB23406BB

दिनांकः 17-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर अपहर्ता को किया बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 05/09/2023 को वादी मुकदमा ने थाने पर आकर लिखित सूचना दी कि उसकी पुत्री घर से बिना बताये लापता हो गयी थी। जिसके आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0-467/23 धारा 363 भादवि के अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व मे थाना देवबन्द पुलिस द्वारा आज दिनांक 17/09/2023 को अपहर्ता को बरामद कर, मुकदमा उपरोक्त वांछित **अभियुक्त मोनू उर्फ अब्दुल मोहररम पुत्र यामीन निवासी ग्राम जडोदा नारा थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर** को रणखण्डी फाटक से अंतर्गत धारा 366/376 भा.द.वि व 3(2)5एससी /एसटी एक्ट में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

- मोनू उर्फ अब्दुल मोहर्रम पुत्र यामीन निवासी ग्राम जडोदा नारा थाना मंसूरपुर मु0नगर उम्र करीब 27 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. कां0 234 अरूण कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 17-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 13.09.2023 को वादिया/पीडिता द्वारा स्वयं के साथ अभियुक्त सौरव पुत्र राजेन्द्र निवासी जाटवनगर थाना कुतुबशेर सहारनपुर द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध मे प्रार्थना पत्र दिया गया। जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना कुतुबशेर पर मु0अ0स0 264/23 धारा 376/504 भादवि पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गये, आदेश के अनक्रुम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.09.2023 को थाना कुतबुशेर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 264/23 धारा 376/504 भादवि मे वाँछित चल रहे अभियुक्त **सौरव पुत्र राजेन्द्र निवासी जाटवनगर थाना कुतुबशेर सहारनपुर** को अम्बाला रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सौरव उपरोक्त को विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम/पता गिरफ्तारः-

सौरव पुत्र राजेन्द्र निवासी जाटवनगर थाना कुतुबशेर सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 960 सचिन तोमर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1773 राहुल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 17-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल, सहारनपुर पुलिस द्वारा गौकशी में 10,000/- रूपये का ईनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अनुक्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा दौराने चैकिंग आज दिनाँक 17.09.2023 मुखबिर की सूचना पर गौकशी करते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने वाला ईनामिया वाँछित **अभियुक्त आसु उर्फ आस मौहम्मद पुत्र मेहरबान निवासी पाण्डौली थाना नांगल जिला सहारनपुर** सम्बन्धित मु0अ0सं0 234/23 धारा 307 भादवि व 3/5/8 सीएस एक्ट व 11क पशु क्रूरता अधि0 को पाण्डौली फाटक से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि 30.08.2023 को मै अपने साथी फरमान उर्फ बिल्ला पुत्र अब्दुल रहीम के साथ एक बछडे को काटने के लिये ले जा रहे थे। कि इतने मे ही पुलिस आ गयी थी। हम लोगो ने अपने आप को पकडने जाने से बचने के लिए पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया था। मै रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया था तथा उस दिन मेरा साथी फरमान उर्फ बिल्ला पकडा गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. आसु उर्फ आस मौहम्मद पुत्र मेहरबान निवासी पाण्डौली थाना नांगल जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह यादव थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर
4. का0 2440 हरकेश सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आस मोहम्मद उर्फ आसु

- मु0अ0सं0 126/19 धारा3/5/8 सीएस एक्ट थाना नांगल जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0 77/20 धारा 3/5क/8सीएस एक्ट थाना नांगल जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0 115/20 धारा 307/414 भादवि थाना नांगल जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0 22/21 धारा 3/5ख/8 सीएस एक्ट थाना नांगल जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0 56/21 धारा 5ख सीएस एक्ट थाना नांगल जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0 25/22 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना नांगल जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0 234/23 धारा 307 भादवि व 3/5/8 सीएस एक्ट व 11क पशु क्रूरता अधि0 थाना नांगल जनपद सहारनपुर